



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

सुविधा संख्या 04/2017

शिलांग दिनांक. 5 जुलाई 2017

विषय: बांग्लादेश से आयातित खाद्य उत्पादों के परीक्षण का प्रमाण पत्र।

भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (आयात प्रभाग विभाग) द्वारा जारी किए गए दिनांक 03.04.17 (एफ.एन.ए. / आयात / 2015-भाग 5) के अधिसूचना पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिसमें यह कहा कि बांग्लादेश मानक और परीक्षण संस्थान (बीएसटीआई) ढाका द्वारा जारी किए गए परीक्षण विश्लेषण प्रमाण पत्र भारत के प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अधिसूचना के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में खाद्य आयात में कार्यरत हैं। उल्लिखित अधिसूचना की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।


उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भारत-बांग्लादेश सीमा पर एलसीएस में तैनात सीमा शुल्क अधिकारी ऐसी वस्तुओं के आयात माल को भेज सकते हैं जहां बीएसटीआई, ढाका द्वारा परीक्षण विश्लेषण प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जांच प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद निकासी की प्रणाली के लिए नामित भारतीय प्रयोगशाला कि हों। बशर्ते कि बीएसटीआई, ढाका द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित माल के लिए जारी किया गया हो और जिसमें बैच संख्या अंकित हों। सामान आदि पर बीएसटीआई प्रमाण पत्र पर सह-संबंधित और निकासी हो सके। ऐसे मामलों में जहां बीएसटीआई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या आयात के लिए लाए गए सामानों और बीएसटीआई प्रमाण पत्र के विवरण के बीच गलत मिलान है, वहां मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1. निदेशक(सीमा शुल्क), सीबीईसीम, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110
2. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग
3. उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइजल /ग अग्रतलासहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभा / शिलांग से निवेदन किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी संबंधितों व्यापारी निर्यातकर्ता/ आयातकर्ता / संघ को सूचित करे। अनुरोध किया जाता है एलसीएस में अधिकारियों द्वारा इस सुविधा का अनुपालन हो ।
4. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस सुविधा को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे ।
5. गार्ड फाइल



(बंदना देवरी)
आयुक्त